



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
दूरभाष 01412716421 Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in



क्रमांक एफ190/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEEs/2019-20/ 4080

जयपुर, दिनांक 10-2-20

संशोधित
“इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना”

1. प्रस्तावना :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019-20 में राशि रु. 1000 करोड़ की इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। उक्त निधि से महिलाओं को उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाकर रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जायेगी, इससे महिलाओं को उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :-

योजना का नाम “इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ” होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :-

योजना अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (महिला स्वयं सहायता समूह/ महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन) भी पात्र होंगे। यदि कोई महिला फर्म या कम्पनी बनाती है तो उसे भी ऋण अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

4. पात्रता की शर्तें :-

क. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

ख आवेदक (व्यक्तिगत/संस्थागत) राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

4

ग. महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह (क्लस्टर/ फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूहों के क्लस्टर/ फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें महिला अधिकारिता द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी।

5. ऋणदात्री संस्थाएं :-

योजना अन्तर्गत निम्नांकित संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :-

- (i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- (iv) राजस्थान वित्त निगम।
- (v) सिडबी।

6. योजना क्रियान्वयन एजेन्सी :-

इस योजना का क्रियान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) संबंधी प्रावधान :-

- (i) **ऋण सीमा :-** इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन, वर्क शोड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रु. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा। ऋण सीमा अलग अलग आवेदक श्रेणीवार निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि
1	व्यक्तिगत आवेदक/स्वयं सहायता समूह	50 लाख रु. तक
2	स्वयं सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन)	1 करोड़ रु. तक

- (ii) **ऋण अनुदान (Margin money) :-** योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान(Margin money) दिया जायेगा। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /विधवा/ परित्यक्ता/ हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगा।

- नोट—
1. ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख होगी।
 2. आवेदक के स्वयं के अंशदान (परियोजना प्रस्ताव का 5% / 10%) की गणना ऋण अनुदान हेतु की जायेगी।
 3. भूमि का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा। वर्कशेड/भवन निर्माण हेतु देय ऋण राशि की अधिकतम सीमा परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृत राशि की 20 % तक होगी।
 4. व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रहेगी।
व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा कय-विकय है।

(iii) सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) मुक्त ऋण को प्रोत्साहन – भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार 10 लाख रु. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रु. से अधिक के ऋण को Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। यदि आवेदक स्वेच्छा से ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति चाहे तो दे सकता है।

8. आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन :-

- i. योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिए प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस को आमुखीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिविर लगाया जाएगा। इसमें उन्हें न केवल योजना संबंधी जानकारी दी जाएगी अपितु बिना किसी मध्यस्त के स्वयं आवेदन भरने एवं अनुकूल प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यशाला भी रखी जाएगी, इसमें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
- ii. योजना में ऋण अनुदान प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था अपनाई जायेगी। इस ऑनलाईन व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान (नोडल संस्थान) से अनुबंध कर पोर्टल बनाने, ऑनलाईन क्लेम प्राप्त करने, ऑनलाईन ऋण अनुदान अन्तरित करने तथा तत्संबंधी लेखे संधारित करने, प्रगति विवरण तैयार करने एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु करार किया जाएगा।
- iii. ऑनलाईन व्यवस्था हेतु नोडल वित्तीय संस्थान/बैंक को ऋण अनुदान पेटे अग्रिम राशि (कोरपस फण्ड) भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।
- iv. ऋणों का उनके क्षेत्र, वर्ग एवं उद्देश्य अनुसार समुचित उपयोग एवं मोनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैल्यूएशन या वेरीफिकेशन कराया जा सकता है, जिसमें प्रक्रिया ऑनलाईन रखी जा सकेगी। इसमें विभाग द्वारा जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही की समुचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ऋण वितरण के उपरान्त प्रत्येक उद्यमी को पोर्टल से एसएमएस जारी कर उनके फॉलो-अप की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उद्यमी अपनी समस्या, मांग, सुझाव या प्रगति की



स्थिति को लेकर जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में निर्धारित दिवस को उपस्थित हो सकता है या विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन सुविधा या एप का उपयोग करते हुए अपना फीडबैक दे सकता है। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता ऋण वितरण के उपरान्त भी इनका आमुखीकरण एवं इनके बेहतर अपग्रेडेशन हेतु प्रत्येक तीन माह पर शिविर आयोजित करते रहेंगे जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को एसएमएस से सूचना प्रदान की जाएगी।

- v. प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में ऋण पूर्व ओरियंटेशन, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन तथा ऋण पश्चात् मानिटरिंग व फॉलो-अप की सुविधा विकसित जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय हेतु एकमुश्त व्यय उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के प्रचार प्रसार, सुदृढीकरण, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज हेतु किसी विशेषज्ञ अथवा निजी एजेन्सी की सेवाएं ली जा सकेंगी। इन समस्त कार्यों हेतु कुल आवंटित बजट का 5 प्रतिशत रखा जा सकेगा या इस संबंध में पृथक से वित्तीय प्रावधान किया जा सकेगा, जिसका उपयोग ऑनलाईन पोर्टल एवं एप निर्माण, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन सुविधा, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज, कार्यालय व्यय, प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन शिविर व बैंकर्स-मीट हेतु किया जाएगा।

9. निर्बन्धन एवं शर्तें :-

- (i) योजना अन्तर्गत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- (ii) राशि रुपये 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5 % तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश आवेदक द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में किया जावेगा। बैंक/ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति के उपरान्त उक्त राशि संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था में आवेदक को जमा करवानी होगी उक्त के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।

10. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :-

योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ अपात्र होगी :-


- (i) मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
- (ii) विस्फोटक पदार्थ।
- (iii) परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो
- (iv) पुनःचकित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद
- (v) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियाँ।

11. अन्य विविध बिन्दु :-

सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र में ऋण एवं अनुदान हेतु अन्य विभागों के माध्यम से भी ऋण प्रदान करने एवं रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के भी विभिन्न विभाग एवं संगठन/परिषद सम्मिलित हैं। निदेशालय महिला

अधिकारिता आवश्यकता अनुसार उनसे समन्वय कर योजना को और सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही कर सकता है। योजना के सुचारु संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा निर्देश व प्रपत्रों के प्रारूप निर्धारण हेतु निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान सक्षम होंगे। इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के अधिकार निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान में निहित होंगे।


संलग्न: योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका।


(पी.सी.पवन)

निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ190/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEEES/2019-20/4081-198 जयपुर, दिनांक 10.2.20
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान जयपुर।
12. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
13. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
17. रक्षित पत्रावली।


निदेशक

महिला अधिकारिता

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

—: संशोधित मार्गदर्शिका :—

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. आवेदन पत्रों की जांच हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति :-

योजना अन्तर्गत 10 लाख रू तक के ऋण उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा स्कूटिनी कर स्वयं के स्तर पर अभिशंषित कर ऋणदात्री संस्था/ बैंक को भिजवाये जा सकेंगे ।

योजना अन्तर्गत 10 लाख रू से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे :-

(i)	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, महिला अधिकारिता
(ii)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रतिनिधि
(iii)	जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धक या अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि
(iv)	जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि
(v)	स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ पॉलीटेक्निक/आई.टी. आई. या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि
(vi)	जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि
(vii)	जिला स्तरीय अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) अथवा प्रतिनिधि

- नोट:- 1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय महिला अधिकारिता उक्त टास्कफोर्स समिति के समन्वयक होंगे ।
2. उक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित न्यूनतम 4 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।)
3. टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी ।

उक्त टास्क फोर्स समिति 10 लाख रू. से अधिक ऋण के आवेदकों के साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक/अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रुचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, ऋण अदायगी के प्रति आवेदक की ईमानदारी आदि का आकलन आदि के आधार पर योग्य/पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री बैंक शाखा को अग्रेषित किया जायेगा।

4

2. विशेष वर्गों/उद्यमों को वरीयता :-

योजना के अन्तर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगी :-

1. ऐसे संस्थागत आवेदक, जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा वे उत्पादन के एक स्तर या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) के रूप में व्यवसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं।
2. ऐसे आवेदक, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है।
3. ऐसे आवेदक, जो पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हों, जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हों।
4. ऐसे आवेदक, जो अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /विधवा/परित्यक्ता/ दिव्यांग /हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी में आते हैं।
5. ऐसे आवेदक, जो वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक (इन्हें चिन्हित करने के लिए अलग से दिशा-निर्देश बनाये जा सकते हैं)।
6. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना से समाज के वंचित तबके को विशेष संबल या रोजगार प्राप्त होता हो।
7. ऐसे अनेक श्रमिक हैं, जो किसी उद्यम में लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण वे उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं, ऐसे श्रमिकों या उनके समूहों को भी विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार किसी उद्यम में परम्परागत रूप से दस्तकार अथवा उससे जुड़े रहे व्यक्तियों को भी वरीयता दी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक, जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्डधारक या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक हैं?
9. ऐसे आवेदक, जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी हैं।
10. ऐसे आवेदक, जो किसी ऐसे नवाचार या अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो।
11. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में अधिक रोजगार सृजन होता हो अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का प्रयोग होता हो।
12. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में निर्यात संबर्द्धन की विपुल संभावना हो।
13. ऐसे आवेदक, जिनकी प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो जैसे - रेडिमेड वस्त्र निर्माण, डिजाइन इत्यादि।
14. ऐसे आवेदक, जो सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करना चाहते हैं।

3. संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें :-

संस्थागत आवेदकों (महिला स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन) हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें होगी :-

- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम /योजना के अन्तर्गत गठित होना चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तत्समय डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन के गठन को कम से कम एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारस्परिक लेन-देन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकार्ड संधारित होना चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होने आवश्यक है।

चूंकि स्वयं सहायता समूह के संबंध में अनेक विभागों के द्वारा अलग-अलग स्तर पर उनके गठन की कार्यवाही की जाती रही है और उनकी समस्याओं एवं स्थितियों का तदनु रूप परिवर्तन होता रहता है, अतः संबंधित विभाग की अभिशंषा पर निदेशक, महिला अधिकारिता ऐसे संस्था/समूह आवेदकों हेतु ऐसी पात्रता शर्तों में संशोधन करने हेतु सक्षम होंगे, जिनसे उनकी उद्यमिता और प्रबंधन क्षमता बेहतर होती हो।

4. योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अपात्र आवेदक :-

निम्नलिखित आवेदक योजना अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे :-

- ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय/राजकीय रोजगारमूलक अनुदान कार्यक्रम/योजना में विगत 5 वर्ष में लाभान्वित हुआ हो।
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो।

नोट:-परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।

5. योजना अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- पात्र व्यक्ति/संस्थागत आवेदक योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को आवेदन करेंगे। 10 लाख रु. से कम ऋण के

आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा इन्हें बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा। 10 लाख रु. से अधिक ऋण के आवेदन पत्रों की जांच हेतु योजना क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या-1 अनुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जायेगा।

- (ii) योजना में सम्मिलित बैंक शाखाएं भी अपने स्तर पर बैंक नॉम्स अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता की जांच उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को मय अभिशंषा के प्रेषित कर सकेंगे।
- (iii) उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता कार्यालय में प्राप्त 10 लाख रु. से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त आवेदक को टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या - 2 में वर्णित विशेष वर्गों सहित बैंकों से अभिशंषित आवेदकों को वरीयता देते हुए, चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु ऋणदात्री बैंक को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
- (iv) योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे-बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री बैंक शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता कार्यालय एवं आवेदक को प्रेषित की जायेगी।
- (v) ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋण अनुदान हेतु दावा, योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए ऋण तथा आवेदक को किये गए ऋण वितरण की सूचना के साथ निदेशालय महिला अधिकारिता को भिजवाये जायेगे। निदेशालय महिला अधिकारिता से स्वीकृति उपरान्त नोडल वित्तीय संस्थान/ बैंक द्वारा ऋणदात्री संस्था को ऋण अनुदान अंतरित किया जायेगा। इसकी सूचना संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता तथा निदेशालय महिला अधिकारिता को भी दी जायेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा राशि रुपये 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5 % तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक राशि के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि ऋण स्वीकृति के उपरान्त संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था को स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करवाई जायेगी। उक्त राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (vii) ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋण अनुदान, ऋण प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के खाते में टर्म डिपोजिट रिसिप्ट (TDR) के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया

जाएगा। टर्म डिपोजिट रिसिप्ट (TDR) तक के ऋण पर ऋण प्राप्तकर्ता से बैंक द्वारा ब्याज नहीं लिया जाएगा तथा TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ऋण प्रदान करने के 3 वर्ष के भीतर किसी कारण से ऋण प्राप्तकर्ता डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तो बैंक द्वारा ऋण अनुदान की राशि महिला अधिकारिता को लौटानी होगी तथा बैंक द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता से बकाया ऋण की वसूली अपने स्तर पर की जाएगी।

(viii) बैंक/संस्था, ऋण प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) से इस आशय का शपथ पत्र लेगा कि यदि महिला अधिकारिता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो सावधिक जमा के रूप में बैंक में जमा ऋण अनुदान की राशि या तीन वर्ष पश्चात् उसे जारी की गई ऋण अनुदान की राशि ऋण प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) द्वारा महिला अधिकारिता को लौटाई जाएगी।

(ix) विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि ऋण वितरण के तीन वर्ष उपरान्त लाभार्थी द्वारा किये जा रहे उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी की जिस उद्देश्य से ऋण लिया गया है उसे उसी उद्देश्य हेतु उपयोग में लिया गया है तथा समय पर ऋण अदायगी की जा रही है। समिति अपनी रिपोर्ट संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को देगी।

(x) समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता ऋणदात्री संस्था/बैंक को लाभार्थी के ऋण खाते में ऋण अनुदान राशि के समायोजन हेतु लिखेगा जिसके उपरान्त ऋणदात्री संस्था/बैंक द्वारा लाभार्थी के ऋण में से ऋण अनुदान की राशि कम कर दी जायेगी।

(xi) राज्य के लक्ष्यों का आवंटन निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालयवार किया जायेगा। जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय को आवंटित लक्ष्य को उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता संबंधित जिले के जिला अग्रणी प्रबंधक की सहायता से सहभागी बैंकों के मध्य आवंटित करायेंगे।

इस योजना की निरंतर मॉनिटरिंग, खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से की जायेगी।

6. आवेदक के आवेदन के मूल्यांकन का प्रपत्र :-

आवेदन पत्रों में कार्ययोजना की गुणवत्ता के आधार पर बैंकों को अग्रेषण की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा :-

क.सं.	बिन्दु	आवेदक की टिप्पणी (आत्म मूल्यांकन के रूप में)	विभागीय मूल्यांकन (प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर टिप्पणी)
A	आवेदक की श्रेणी के आधार पर वरीयता चाहने हेतु		
	क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यावसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं?		
	क्या आवेदक वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक के रूप में है?		
	क्या आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा / परित्यक्ता / दिव्यांग / हिंसा से पीड़ित महिला की श्रेणी में आता है?		
	क्या आवेदक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी है?		
B	आवेदक की उद्यम संभावना के आधार पर वरीयता चाहने हेतु		
	क्या आवेदक राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है या आवेदक की शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता प्रस्तावित उद्यम में सहायक रहेगी?		
	क्या आवेदक के पास परम्परागत, वंशानुगत अथवा अर्जित अनुभव के आधार पर उद्यम हेतु विशेषज्ञता है अथवा बुनकर कार्डधारक या आर्टीजन कार्ड धारक हैं?		
	क्या आवेदक पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हैं, जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो?		
	क्या आवेदक के उद्यम में एक		

	स्टार्ट-अप के योग्य कोई विशिष्ट नवाचार या संभावना विद्यमान है या वे किसी ऐसे अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो?		
	क्या आवेदक का उद्यम निर्यात संभावना युक्त है?		
	क्या आवेदक कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना है?		
	क्या आवेदक की प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो?		
	क्या आवेदक की कार्ययोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है?		
C	अन्य बिन्दु		
	क्या आवेदक के उद्यम हेतु अपनी भूमि है?		
	क्या आवेदक के उद्यम हेतु उपलब्ध भूमि में आवश्यकता अनुसार भवन निर्मित है?		
	क्या प्रस्तावित उद्यम स्थापना वाले स्थान में उपलब्ध कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पाद के उपयोग पर आधारित है?		
	यदि उस स्थान पर उस जैसे अनेक उद्यम है तो वह किस आधार पर चलने की संभावना मानता है?		
	क्या प्रस्तावित उद्यम में प्रशिक्षित मानव संसाधन के उपयोग की संभावना है?		

नोट :- यह प्रपत्र मूल आवेदन के साथ ही स्वयं आवेदक द्वारा आत्ममूल्यांकन के रूप में भरा जायेगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर समुचित अभिशंषा की जाएगी। महिला अधिकारिता द्वारा किसी परियोजना विशेष के लिए इनके अतिरिक्त भी बिन्दु बनाए जा सकते हैं।

7. मूल्यांकन के उपरान्त प्रभारी अधिकारी/टास्क फोर्स की अभिशंषा :-

उक्त उल्लेखित पैरामीटर तथा अन्य बिन्दुओं पर निम्नांकित रूप में टिप्पणी करते हुए आवेदन पत्र को अग्रेषित करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

1	2	3	4	5
बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	समुचित नहीं	टिप्पणी

4


8. ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण :-

क. योजना में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक दो तरह के हो सकते हैं :-

1. बैंक में ऋण स्वीकृति से पूर्व सामान्य आवेदन करने वाले
2. बैंक से ऋण की स्वीकृति/सहमति करा चुके आवेदक

योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु निदेशक, महिला अधिकारिता इनके लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

ख. कोई उद्यमी जो उद्यम लगाता है, उसमें स्थायी व्यय एवं आवर्ती व्यय के रूप में क्रमशः पूंजीगत लागत (Capital Expenditure) तथा राजस्व लागत (Revenue Expenditure) का प्रावधान होता है, इसमें भी कुल परियोजना लागत के अन्तर्गत कुछ राशि उद्यमी द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन की जाती है, जिसे उसका स्वयं का अंशदान माना जाता है। बैंक द्वारा सामान्य तौर पर उसकी पूंजीगत लागत (स्थायी व्यय) के लिए कम्पोजिट/ सावधि ऋण का प्रावधान किया जाता है और राजस्व व्यय (आवर्ती व्यय) के लिए कार्यशील पूंजी मानते हुए उसकी सी.सी.लिमिट निर्धारित की जाती है। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा।


निदेशक
महिला अधिकारिता



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

दूरभाष 0141-2716421 Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in



क्रमांक एफ190/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEEES/2019-20/ 35030 जयपुर, दिनांक 13/11/2024

“इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (संशोधित प्रावधान)”

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं मार्गदर्शिका में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं :-

योजना में संशोधन

1. बिन्दु संख्या 4. पात्रता की शर्तों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

1. व्यक्तिगत महिला आवेदक - न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान की मूल निवासी हो।
2. महिला स्वयं सहायता समूह - राज्य सरकार के किसी विभाग से जुड़े हो।
3. महिला स्वयं सहायता समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) - नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
4. प्रोपराईटरशिप फर्म - प्रोपराईटर महिला हो।
5. पार्टनरशिप फर्म - सभी पार्टनर महिलाएँ हो।
6. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म - सभी पार्टनर महिलाएँ हो।
7. वन पर्सन कम्पनी - निदेशक महिला हो तथा सम्पूर्ण शेयर होल्डिंग महिला के नाम हो।
8. प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी - 75 % शेयर महिलाओं के नाम हो तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल में न्यूनतम 2 निदेशक महिला हो।
9. महिला किसी एक स्वयं सहायता समूह/ स्वयं सहायता समूह के संघ/फर्म/कम्पनी से जुड़कर एक बार ही ऋण अनुदान का लाभ ले सकती है।

2. बिन्दु संख्या 5. ऋणदात्री संस्थाएँ में नया अनुच्छेद 5 (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-
5 (vi) केन्द्रीय सहकारी बैंक।

3. बिन्दु संख्या 7 (i) ऋण सीमा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन, वर्कशेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा। ऋण सीमा अलग अलग आवेदक श्रेणीवार निम्नानुसार होगी-

क्र.स.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि
1	1 व्यक्तिगत महिला आवेदक 2. महिला स्वयं सहायता समूह 3. प्रोपराईटरशिप फर्म 4. पार्टनरशिप फर्म 6. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 7. वन पर्सन कम्पनी 8. प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी	50 लाख रु. तक
2	स्वयं सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन)	1 करोड़ रु. तक

3/2

4. बिन्दु संख्या 9 निर्बन्ध एवं शर्तें अनुच्छेद (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(ii) राशि रुपये 50000/- तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में आवेदक को स्वयं के अंशदान के रूप में कोई निवेश नहीं करना होगा। राशि रुपये 50001/- से 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में 5% तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में 10% राशि का निवेश आवेदक द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में किया जावेगा। बैंक/ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति के उपरान्त उक्त राशि संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था में आवेदक को जमा करवानी होगी उक्त के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं हो एवं किसी भी एक स्वयं सहायता समूह/ स्वयं सहायता समूह के संघ/फर्म/कम्पनी से जुडकर एक बार ही ऋण अनुदान का लाभ ले सकता है।

योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन

5. बिन्दु संख्या 3 संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें शीर्षक को "महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन हेतु पात्रता शर्तें" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
6. बिन्दु संख्या 5 (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -
आवेदक द्वारा राशि रुपये 50000/- तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में स्वयं के अंशदान के रूप में कोई राशि जमा नहीं करानी है। राशि रुपये 50000 से अधिक तथा 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5 % तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक राशि के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि ऋण स्वीकृति के उपरान्त संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था को स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करवाई जायेगी। उक्त राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।
7. बिन्दु संख्या 8 (ख) में "ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा" को "ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
8. बिन्दु संख्या 5 (vii) में निम्नानुसार 2 उपबिन्दु और जोड़े जाते हैं :-
अ. बैंक द्वारा लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में संवितरित (Disburse) की गई ऋण राशि बैंक द्वारा क्लेम की गई ऋण अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

ब. योजनान्तर्गत कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत ऋण राशि के उपभोग का स्तर प्रथम तीन वर्ष तक वर्ष में एक बार 90 प्रतिशत तक पहुंचना आवश्यक होगा तथा प्रथम तीन वर्षों में कार्यशील पूंजी का औसतन उपयोग 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।


उक्त संशोधन, आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102104673 दिनांक 09.11.2021 के क्रम में जारी किए जाते हैं।


(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ19()/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEEES/2019-20/35031-178 जयपुर, दिनांक 13/11/2021
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान जयपुर।
12. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
13. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
17. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता